न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़ जिला–सीकर

बइजलास गाविन्द सिंह भींचर, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या:– 42/2019/आवेदन अं0 धारा 111 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956

1. जगदीश प्रसाद पुत्र चन्द्राराम
2. मोहन लाल पुत्र चन्द्राराम
3. लाली देवी पत्नि चन्द्राराम
   - 3/1. जगदीश प्रसाद पुत्र चन्द्राराम
   - 3/2. मोहनलाल पुत्र चन्द्राराम
   - 3/3. संतोष देवी पुत्री चन्द्राराम
   - 3/4. मंजू देवी पुत्री चन्द्राराम

समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम कुली तह0 दांतारामगढ़ जिला सीकर।

–प्रार्थीगण

ब ना म

1. बिहारीलाल पुत्र पेमाराम उम्र 46 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम कुली तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

– अप्रार्थीगण

आवेदन बाबत अन्तर्गत धारा 111 राजस्थान
भू–राजस्व अधिनियम 1956 (पत्थरगढ़ी)

उपस्थिति–

1. श्री नन्दलाल धायल वकील प्रार्थी की ओर से।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से वकील श्री सुरेन्द्र सिंह विश्राम हाजिर आये।

नि र्ण य **दिनांक– 04.09.2024**

1. आवदेन पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि राजस्व ग्राम कुली पटवार हल्का कुली तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर (राज.) की सरहद में कृषि भूमि हाल खसरा नम्बर 1248/560 रकबा 0.16 है0 किता एक कुल रकबा 0.16 है0 (साबिक खसरा

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

नम्बर 560 रकबा 0.51 है0) अवस्थित है जो वादीगण के कब्जे काश्त एवं खातेदारी शुदा भूमियां है। दावा की चरण सं. 1 में वर्णित वादीगण की कृषि आराजियात के सटती हुयी कृषि भूमि हाल ख.नं. 1249/560 रकबा 0.33 है. किता एक कुल रकबा 0.33 हैक्टेयर (साबिक खसरा नम्बर 560 रकबा 0.51 हैक्टेयर) अवस्थित है जिसका कब्जा काश्त एवं खातेदारी प्रतिवादी सं. 1 का है। दावा की चरण सं. 1 व 2 में वर्णित कृषि भूमियां पूर्व में एक ही खाते की वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 व अन्य खातेदारान् की संयुक्त राजस्व रिकार्ड एवं कब्जे काश्त की रही है। जिनका राजस्व रिकार्ड में विभाजन होकर अलग अलग नम्बर कायम हुये है। वाद पत्र की चरण सं. 1 में वर्णित भूमि बंटवारे में वादीगण को मिली तथा वाद पत्र की चरण सं. 2 में वर्णित भूमि बंटवारे में प्रतिवादी सं. 1 को मिली। मौके पर बंटवारे के मुताबिक वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 के मध्य आपस में भूमियों का सीमाज्ञान नहीं हुआ है तथा न ही मुताबिक राजस्व रिकार्ड पत्थरगढी की हुयी है। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 मौके पर अनुमान से काबिज है। उक्त भूमियों का मौके पर नींव सींव कायम कर सीमाज्ञान नहीं किया हुआ है तथा न ही विधिक रुप से सक्षम अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा पत्थरगढी की हुयी है। वादाधीन भूमियां दांतारामगढ़ से रेनवाल जाने वाली मुख्य सड़क पर स्थित होकर कीमती भूमियां है इसलिए प्रतिवादी सं. 1 ने अपने मन में बेईमानी बना ली है एवं वादीगण की उक्त कब्जे काश्त एवं खातेदारीशुदा भूमि में बलात् रुप से कब्जा करने की गरज से प्रतिवादी सं. 1 ने दावा की चरण सं. 1 व 2 में वर्णित कृषि आराजियात हाल ख.नं. 1248/560 व 1249/560 की सीमा पर काफी निर्माण सामग्री डालकर वादीगण की उक्त कब्जे काश्त एवं खातेदारीशुदा भूमियों के सींव की तरफ निर्माण कार्य चालु कर करने लगा तो वादीगण ने ग्राम के मौजीज व्यक्तियों को इक्कटा कर काफी समझाईश की तो प्रतिवादी सं. 1 ने धमकी दी कि मौका मिलते ही आयन्दा निर्माण कार्य करूंगा जबकि प्रतिवादी सं. 1 को दावे की चरण स. 1 व दावे की चरण सं. 2 में वर्णित भूमियों के मध्य जब तक सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सीमाज्ञान होकर नींव सीव कायम की जाकर पत्थरगढी न हो जाये तब तक महज काल्पनिक रुप से

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

मौके पर निर्माण करने का कानूनी अधिकार विधिक रुप से हासिल नहीं है किन्तु प्रतिवादी सं. 1 जबरदस्ती सीमा पर निर्माण कार्य करने पर आमादा है इसलिए वादीगण अपनी कृषि भूमियों की सुरक्षार्थ दावे की चरण सं. 1 व 2 में वर्णित कृषि भूमियों के मध्य सीमाज्ञान करवाकर सीमा चिन्ह कायम/पत्थरगढी करवाना चाहते है। तदहेतु वाद बाबत सीमा विवाद का निपटारा एवं पत्थरगढी का संस्थित करना लाजिम हुआ है। दावा की चरण सं. 1 में वर्णित भूमि वादीगण की एंकाकी कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि भूमियां है एवं दावा की चरण सं. 2 में वर्णित कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 की कब्जे काश्त एवं खातेदारीशुदा भूमि है जो भूमियों एक दूसरे खसरा नम्बरान के सटती हुयी भूमियां है तथा जिनका पूर्व में एक ही मूल नम्बर रहा है जिनका राजस्व रिकार्ड मे विभाजन होने से अलग अलग नम्बर कायम हुये है। विभाजन के मुताबिक मौके पर सीमाज्ञान नहीं किया जाकर उक्त भूमियों की सीमा पर पत्थरगढी सक्षम अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा नहीं की हुई है। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 अनुमान से काबिज है। उक्त भूमियों का सीमाज्ञान होकर नींव सींव कायम न होकर विधिक रुप से सक्षम अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा पत्थरगढी नहीं होने के कारण प्रतिवादी सं. 1 ने अपने मन मे बेईमानी बना ली है एवं वादीगण की उक्त कब्जे काश्त एवं खातेदारीशुदा भूमि में बलात् रुप से कब्जा करने की गरज से प्रतिवादी सं. 1 ने दावा की चरण स 1 व 2 में वर्णित कृषि आराजियात हाल ख.नं. 1248/560 एवं 1249/560 की सीमा पर काफी निर्माण सामग्री डालकर वादीगण की कब्जे काश्त एवं खातेदारीशुदा भूमियों के सींव की तरफ निर्माण कार्य चालू करने लगे तो वादी ने ग्राम के मौजीज व्यक्तियों को इकट्ठा कर काफी समझाईश की तो प्रतिवादी संख्या 1 ने धमकी दी कि मौका मिलते ही आयन्दा निर्माण कार्य करेगें जबकि प्रतिवादी संख्या 1 को दावे की चरण संख्या 1 व दाव की चरण संख्या 2 में वर्णित भूमियों के मध्य जब तक सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सीमाज्ञान होकर नींव सींव कायम की जाकर पत्थरगढ़ी न हो जाये तब तक महज काल्पनिक रूप से मौके पर निर्माण करने का कानूनी विधिक रूप से हासिल नहीं है किन्तु प्रतिवादी जबरदस्ती सीमा पर निर्माण कार्य करने पर आमदा है इसलिए वाद

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

पत्र की चरण संख्या 1 व 2 में वर्णित कृषि भूमियों के मध्य मौके की यथास्थिति जरिये स्थायी निशेधाज्ञा से रखवाया जाना आवश्यक हो गया है। तद्हेतु दावा बाबत स्थायी निशेधाज्ञा का प्रस्तुत करना लाजिम हुआ है। प्रतिवादी संख्या 1 ने वादग्रस्त भूमियों में दिनांक 23/04/2019 को काफी निर्माण सामग्री डालकर निर्माण कार्य करने की कुचेष्टा करने एवं वादीगण द्वारा सीमाज्ञान कर पत्थरगढ़ी करवाने की बात कहने पर इन्कार करने से वाद कारण वादीगण को उत्पन्न हुआ जो क्षण प्रति क्षण निरन्तर रूप से चालू है। अतः आवेदन पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि आवेदन स्वीकार कर वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 डिक्री फरमाया जाकर वाद पत्र की चरण संख्या 1 व 2 में वर्णित कृषि भूमि हाल खसरा नम्बर 1248/560 रकबा 0.16 है0 एवं खसरा नम्बर 1249/560 रकबा 0.33 है0 के मध्य सीमा विवाद का निपटारा किया जाकर सक्षम राजस्व एजेन्सी से सीमाज्ञान करवाकर बाद सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी करवायी जावे।

आवेदन पेश होने पर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से वकील श्री सुरेन्द्र सिंह विश्राम हाजिर आये। प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से राजपैरोकार ने नोटेड किया।

3. वकील प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाब दावा मय काउण्टर वाद व विधिक आपत्तियां पेश की गयी। वकील वादीगण ने जवाब काउण्टर दावा न देकर आवेदन अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता पेश किया। मैंने आवेदन अंतर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, विधिक आपत्ति व काउण्टर दावे पर पेश आवेदन अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पर बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई।

मूलतः प्रकरण में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 की भूमियां पूर्व में एक ही खसरे का हिस्सा है व दोनों को बंटवारे के दावे के द्वारा अलग–अलग खसरा नम्बरान से हिस्सा प्रथक दर्ज हुआ। सीमाज्ञान रिपोर्ट के अवलोकन वादीगण के पास कम भूमि कब्जे में पायी गयी परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने काउण्टर दावे में यह कथन किया कि उसके पास भी उसके हिस्से की ही भूमि है व उसी पर ही काबिज है। अपने हिस्से

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

से अधिक पर काबिज नहीं है। प्रतिवादी द्वारा अपनी भूमि की भी पत्थरगढी करवानी चाही। वादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी अस्वीकार किया जाता है। क्योंकि उक्त प्रार्थना पत्र में पेश कथन Technical Nature के हैं तथा धारा 111 व 128 भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्रों पर कार्यवाही Summary Trial के रूप में की जाती है जिसमें समग्र न्याय निर्णयण पर ज्यादा जोर दिया जाकर तकनीकी बिन्दूओं पर किसी को न्याय लेने से रोका जाना उचित नहीं है। प्रक्रियात्मक व तकनीकी बिन्दूओं के आधार पर अगर प्रतिवादी का काउण्टर वाद मय प्रार्थना पत्र बाबत् स्वयं की भूमि की भी पत्थरगढ़ी का आवेदन खारिज किया जाता है तो समग्र न्याय निर्णय नहीं हो पायेगा, क्योंकि दोनों भूमियां पूर्व में एक ही खसरे की सम्मिलित भूमियां थी जिनका विभाजन पश्चात् अलग–अलग खातेदारी दर्ज हुई। अतः दोनों खसरों की पत्थरगढी किया जाना समग्र न्यायनिर्णय हेतु आवश्यक है। अतः वादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी खारिज किया जाता है। प्रतिवादी द्वारा पेश विधिक आपत्तियां खारिज की जाती है व वादीगण व प्रतिवादी द्वारा पेश पत्थरगढ़ी का आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी करवाये जाने हेतु तहसीलदार दांतारामगढ जिला सीकर को अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार दांतारामगढ नियमानुसार प्रार्थीगण की आवेदित भूमि पर किसी भी न्यायालय का स्थगन आदि नहीं होने की स्थिति में पत्थरगढी करवावें तथा आवश्यकता होने पर पुलिस इमदाद प्राप्त करें। पत्थरगढी करवाने हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो। उक्त पत्थरगढ़ी के आदेश के आधार पर किसी भी व्यक्ति को कब्जे से बलात् व बेदखल न करे।

यह आदेश आज दिनांक 04.09.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोविन्द सिंह भींचर)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़